

मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(E-mail:- cerednb@gmail.com, Mob. No.-9470001351)

पत्रांक :- प्र०-23/उत्तर(आउटलेट)-30-42/2025 27/6/25 पटना, दिनांक :- 25/8/2025
प्रेषक,

मुख्य अभियंता, उत्तर
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
प्र०-23-2436
27-8-25

अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
सारण पथ अंचल, हाजीपुर।

विषय:-

पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत मौजा-अंजनी, खाता नं०-160, खेसरा नं०-2126, थाना नं०-232, जिला-सारण में IOCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट खोलने हेतु औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (i) आपका पत्रांक-1220 (अनु०), दिनांक-02.08.2025
- (ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S) दिनांक- 08.03.2018
- (iii) विभागीय पत्रांक- 80 (E), दिनांक 04.01.2024

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत मौजा-अंजनी, खाता नं०-160, खेसरा नं०-2126, थाना नं०-232, जिला-सारण में IOCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट खोलने हेतु औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश पत्रांक-80 (ई०) दिनांक-04.01.2024 तथा संकल्प ज्ञापांक-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 के आलोक में प्रदान की जाती है। उक्त औपबंधिक अनापत्ति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सोनपुर द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट में अंकित विवरणी के आधार पर दी जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल का पुनः निरीक्षण कर चेकलिस्ट में अंकित विवरणी से संतुष्ट होकर ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो कार्यपालक अभियंता इसके लिए जिम्मेवार होंगे। साथ ही निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे :-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पाई जाती है तो यह औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के नक्शा एवं चेकलिस्ट की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जानी है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 को कड़िका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
4. MoRTH, IRC एवं विभागीय रिटेल आउटलेट से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन वृद्धतः सुनिश्चित किया जाय।
5. समर्पित चेकलिस्ट के आधार पर औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आग्रह अनुरोध है कि चेकलिस्ट में दर्ज सूचनाओं से स्वयं भी संतुष्ट हो कर कार्रवाई करेंगे।

अनु०:-नक्शा एवं चेकलिस्ट की एक-एक प्रति (मूल में)।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता, उत्तर

27/8/25

(12)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग सारण पथ अंचल, हाजीपुर।

पत्रांक-1370
प्रेषक-ककु

हाजीपुर, दिनांक-01.09.25

सेवा में

अधीक्षण अभियंता,
सारण पथ अंचल, हाजीपुर

कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल, सोनपुर

विषय:-

पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत मौजा-अंजनी, खाता नं०-160, खेसरा नं०-2126, थाना नं०-232, जिला- सारण में IOCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

मुख्य अभियंता उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक-2716(अनु०) दि०-25.08.2025

महाशय

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत मौजा-अंजनी, खाता नं०-160, खेसरा नं०-2126, थाना नं०-232, जिला- सारण में IOCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-80(ई) दिनांक-04.01.2024) तथा संकल्प संख्या-1921(एस) दिनांक-08.03.2018 के आलोक में प्रदान की गई है। उक्त अनापत्ति आपके द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट में अंकित विवरणी के आधार पर दी गई है। कृपया कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का स्थान निरीक्षण कर चेक लिस्ट में अंकित विवरणी से संतुष्ट होकर ही अग्रतर कार्रवाई की जाय। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, तो कार्यपालक अभियंता इसके लिए जिम्मेवार होंगे। साथ ही निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे :-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के नक्शा एवं चेक लिस्ट की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापक-1921(एस) दिनांक-08.03.2018 की कंडिका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
4. MORTH, IRC एवं विभागीय रिटेल आउटलेट से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
5. समर्पित चेकलिस्ट के आधार पर औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। आपसे अनुरोध है कि चेकलिस्ट में दर्ज सूचनाओं से स्वयं भी संतुष्ट होकर कार्रवाई करेंगे।

अनु०:- 1. नक्शा एवं चेक लिस्ट एक प्रति (मूल में)।
2. मुख्य अभियंता उत्तर, पत्रांक-2716(अनु०) दि०-25.08.2025 की छाया प्रति संलग्न।

विश्वासभाजन

01.09.25
अधीक्षण अभियंता,
सारण पथ अंचल, हाजीपुर





कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सोनपुर



Email: sonpur@sonpur.gov.in

Mobile: 8544410021

पत्रांक:- 1244 अं३

दिनांक:- 06/09/25

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, सोनपुर।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

विषय:-

पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत मौजा-अंजनी, खाता नं०-160, खेसरा नं०-2126, थाना नं०-232, जिला-सारण में IOCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (1) मुख्य अभियंता उत्तर, प०नि०वि०, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2716 दिनांक 25.08.25
- (2) अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर के पत्रांक -1370 (अनु०) दिनांक 01.09.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पथ प्रमंडल, सोनपुर अन्तर्गत मौजा-अंजनी, खाता नं०-160, खेसरा नं०-2126, थाना नं०-232, जिला -सारण में IOCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक 80 (ई०) दिनांक 04.01.2024 तथा संकल्प संख्या-1921 (एस) दिनांक 08.03.2018 के आलोक में प्रदान की गई है। उक्त अनापत्ति आपके द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट में अंकित विवरणी एवं निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जा रही है:-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921 (एस) दिनांक 08.03.2018 की कंडिका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- अनु०:- (1) अनुमोदित नक्शा मूल में एक प्रति।
(2) प्रासंगिक पत्रों की छाया प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, सोनपुर